



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2508]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2508]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3025(अ).—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक उपक्रमों के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 10 के उप-नियम (2) के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 163(अ)/आरएलआईयू/10(2)/76, तारीख 3 मार्च, 1976, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 4 मार्च, 1976 में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, 'परियोजना अनुमोदन बोर्ड' शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 7(4)/2012-आईपी]

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, 1976 (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 4 मार्च, 1976 के पृष्ठ 501 से 511 पर अधिसूचना संख्यांक का.आ.163(अ)/आरएलआईयू/10(2)/76, तारीख 3 मार्च, 1976 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित द्वारा पश्चात्पूर्ति संशोधन किए गए :—

1. अधिसूचना सं. का.आ. 765(अ), तारीख 29-11-1979;
2. अधिसूचना सं. का.आ. 25(अ), तारीख 13-1-1981;
3. अधिसूचना सं. का.आ. 656(अ), तारीख 18-8-1981;
4. अधिसूचना सं. का.आ. 38(अ), तारीख 22-1-1983;
5. अधिसूचना सं. का.आ. 159(अ), तारीख 4-3-1983;
6. अधिसूचना सं. का.आ. 854(अ), तारीख 24-11-1983;
7. अधिसूचना सं. का.आ. 399(अ), तारीख 22-5-1984;
8. अधिसूचना सं. का.आ. 736(अ), तारीख 22-9-1984;
9. अधिसूचना सं. का.आ. 893(अ), तारीख 8-10-1987;
10. अधिसूचना सं. का.आ. 365(अ), तारीख 4-5-1990;
11. अधिसूचना सं. का.आ. 574(अ), तारीख 19-7-1990;
12. अधिसूचना सं. का.आ. 699(अ), तारीख 15-10-1991;
13. अधिसूचना सं. का.आ. 714(अ), तारीख 22-10-1991;
14. अधिसूचना सं. का.आ. 84(अ), तारीख 29-1-1992;
15. अधिसूचना सं. का.आ. 706(अ), तारीख 4-8-1995;
16. अधिसूचना सं. का.आ. 341(अ), तारीख 15-5-1996;
17. अधिसूचना सं. का.आ. 249(अ), तारीख 22-3-2001;
18. अधिसूचना सं. का.आ. 989(अ), तारीख 3-10-2001।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2012

S.O. 3025(E).—In exercise of powers conferred by section 14 of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings, Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) number S.O. 163(E)/RLIU/10(2)/76 dated the 3rd March, 1976, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 4th March, 1976, namely :—

In the said notification, the heading “Project Approval Board” and entries thereunder shall be omitted.

[F.No. 7(4)/2012-IP]

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.

Note: Principal notification was published in the Gazette of India 1976 (Extraordinary) Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 4th March,

1976 at pages 501 to 511 *vide* notification number S.O. 163(E)/RLIU/10(2)/76 dated the 3rd March, 1976 and subsequently amended by :—

1. Notification No. S.O. 765(E), dated 29-11-1979;
2. Notification No. S.O. 25(E), dated 13-1-1981;
3. Notification No. S.O. 656(E), dated 18-8-1981;
4. Notification No. S.O. 38(E), dated 22-1-1983;
5. Notification No. S.O. 159(E), dated 4-3-1983;
6. Notification No. S.O. 854(E), dated 24-11-1983;
7. Notification No. S.O. 399(E), dated 22-5-1984;
8. Notification No. S.O. 736(E), dated 22-9-1984;
9. Notification No. S.O. 893(E), dated 8-10-1987;
10. Notification No. S.O. 365(E), dated 4-5-1990;
11. Notification No. S.O. 574(E), dated 19-7-1990;
12. Notification No. S.O. 699(E), dated 15-10-1991;
13. Notification No. S.O. 714(E), dated 22-10-1991;
14. Notification No. S.O. 84(E), dated 29-1-1992;
15. Notification No. S.O. 706(E), dated 4-8-1995;
16. Notification No. S.O. 341(E), dated 15-5-1996;
17. Notification No. S.O. 249(E), dated 22-3-2001;
18. Notification No. S.O. 989(E), dated 3-10-2001.